

आरक्षण के उप-वर्गीकरण की अवधारणा

प्रलिस के लयः

आरक्षण का उप-वर्गीकरण, जनैल सहऱ बनाड लक्ष्डी नारायण गुप्ता डडडल, अनुच्छेद- 341, क्रीडी लेयर की अवधारणा, केरल राज्य बनाड एन. एड. थॉडस डडडल

डेनुस के लयः

आरक्षण के उप-वर्गीकरण की अवधारणा

चरचा डें क्यौं?

हल ही डें सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशौं की संवधलन पीठ ने अनुसूचित जातल और अनुसूचित जनजातल के आरक्षण के उप-वर्गीकरण (कोटा के डीतर कोटा) डर कानूनी बहस को डरऱ से शुरू कर दलल है ।

डरडुख बडुः

- पाँच-न्यायाधीशौं की संवधलन पीठ ने अनुसूचित जातल वर्ग डें सभी अनुसूचित जातलडौं का सडलन डरतनलधलतलतुव सुनशलचितल करने के ललड कुछ को अधडलननुड उपचार देने के डकष का सडरथन कलल है ।
- वर्ष 2005 'ई. वी. चनलडुडुडल बनाड आंधर डरदेश राज्य और अनुड (E V Chinnaiah v State of Andhra Pradesh and Others) डडडले डें पाँच न्यायाधीशौं की एक पीठ ने नरलणड दललल था कल राज्य सरकारौं के डडस आरक्षण के उदुदेशुड से अनुसूचित जातलडौं की उप-शुरेणलडुडौं बनाने की कोई शकतल नही है ।
- चूंकल सडलन शकतल (इस डडडले डें पाँच न्यायाधीश) की एक पीठ डछलले नरलणड को रदुद नही कर सकतुी, अतः डडडले डें नरलणड लेने के ललड इसे एक बडुी संवैधलनकल पीठ को डेजा गलल है ।
- डडरत के डुखुड न्यायाधीश दवलरल सथलडतल की गई बडुी खंडपीठ दुनौं नरलणडौं (अनुसूचित जातलडौं की उप-शुरेणलडुडौं बनाने तथल इस संबंड डें राजुडौं को अधकलर) डर डुनरुवलर करेगी ।

'ई. वी. चनलडुडुडल बनाड आंधर डरदेश राज्य और अनुड डडडलः

(E V Chinnaiah v State of Andhra Pradesh and Others)

- वर्ष 2005 के इस डडडले डें सर्वोच्च न्यायालय ने नरलणड दललल कल कलसी जातल को अनुसूचित जातल के रूड डें शलडलल करने डल बहषुकृत करने की शकतल केवल राष्ट्रडतल के डडस है, और राज्य सूची के साथ छेडछलड नही कर सकते हैं ।

आरक्षण का उप-वर्गीकरणः

- अनेक राजुडौं का डडननल है कल अनुसूचित जातलडौं डें डी कुछ अनुसूचित जातलडौं का सकल डरतनलधलतलतुव अनुड की तुलनल डें कड है ।
 - अनुसूचित जातलडौं के डीतर की असडलनतल को कई रडुडरुटौं डें रेखलंकतल कलल गलल है ।
- इस असडलनतल को संबोधतल करने के ललड आरक्षण के उप-वर्गीकरण अरथलत कोटा के अंदर कोटा डरदलन करने की डलत की जलतुी है ।

राजुडौं डें आरक्षण का उप-वर्गीकरणः

बिहार:

- वर्ष 2007 में बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जातों के भीतर पछिड़ी जातियों की पहचान करने के लिये 'महादलित आयोग' का गठन किया गया था।

तमिलनाडु:

- राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति एम. एस. जनार्थनम (Janarthanam) की रिपोर्ट में पाया गया है कि राज्य में अनुसूचित जातों की आबादी राज्य की आबादी की 16% होने के बावजूद उनका सरकारी नौकरियों में केवल 0-5% प्रतिनिधित्व था।
- तमिलनाडु सरकार द्वारा अनुसूचित जातों कोटे के भीतर 3% कोटा अरुंधतियर (Arundhatiyar) जातों को प्रदान किया गया है।

आंध्र प्रदेश:

- वर्ष 2000 में, न्यायमूर्ति रामचंद्र राजू की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश की विधायिका द्वारा 57 अनुसूचित जनजातों को मिलाकर एक उप-समूह का निर्माण किया गया।
- इन अनुसूचित जनजातों का उनकी आबादी के अनुपात में अनुसूचित जातों के कोटे में 15% कोटा निर्धारित किया गया।

पंजाब:

- पंजाब सरकार द्वारा भी अनुसूचित जातों कोटे में बाल्मीकि और मजहबी सखियों को वरीयता देने वाला कानून बनाया है।

उप-वर्गीकरण के आधार:

क्रीमी लेयर की अवधारणा:

- सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि आरक्षण का लाभ 'सबसे कमजोर लोगों को' (Weakest of the Weak) प्रदान किया जाना चाहिये।
- वर्ष 2018 में '[जरनैल सहि बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले](#)' में अनुसूचित जनजातों के भीतर एक 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा के नरिणय को कायम रखा गया।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही 12 वर्ष पुराने 'एम. नागराज बनाम भारत' सरकार मामले में दिये गए पूर्ववर्ती नरिणय पर सहमति व्यक्त की गई थी।
 - एम. नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि अनुसूचित जातों और जनजातों (SC/ST) को मिलने वाला लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके इसके लिये आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रयोग करना आवश्यक है।
- वर्ष 2018 में पहली बार अनुसूचित जातों की पदोन्नति में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया गया था।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के जरनैल सहि मामले में नरिणय की समीक्षा की मांग की है और मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

अनुच्छेद- 341:

- संविधान के अनुच्छेद- 341 के तहत अनुसूचित जातों को नरिधारित करने के लिये राष्ट्रपति को सशक्त किया गया है।
- एक राज्य में SC के रूप में अधिसूचित जातों दूसरे राज्य में SC रूप में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं।
- न्यायालय का मानना है कि केवल वरीयता देने, पुनर्व्यवस्थापति करने, उप-वर्गीकरण करने से अनुच्छेद- 341 के तहत अधिसूचित सूची में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी जातों का समावेश या बहिष्करण करने की मनाही करता है, न कि उप-वर्गीकरण की।

समानता का अधिकार:

- नरिचित कारणों तथा आधारों पर किया गया उप-वर्गीकरण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।
- उप-वर्गीकरण से सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजातों में न केवल 'आनुपातिक समानता' की प्राप्ति होगी अपितु 'वास्तविक समानता' की प्राप्ति होगी।

उप-वर्गीकरण के विषय में तर्क:

अनुसूचित जातों एक वर्ग:

- 1976 के 'केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस मामले' में सर्वोच्च न्यायालय ने यह नरिधारित किया कि अनुसूचित जातों (SC) कोई जात नहीं हैं, अपितु वे वर्ग हैं।
- इस मामले में यह तर्क दिया गया कि 'सामाजिक और शैक्षणिक पछिड़ेपन' की शर्त को अनुसूचित जातों और अनुसूचित जनजातों पर लागू नहीं किया जा सकता है।
- अस्पृश्यता के कारण सभी अनुसूचित जातों को विशेष उपचार दिया जाना चाहिये।

वोट बैंक की राजनीति संभव:

- आरक्षण के उप-वर्गीकरण में सरकार द्वारा लिये जाने वाले नरिणय वोट बैंक की राजनीतिके आधार पर हो सकते हैं ।
- इस तरह के संभावति मनमाने बदलाव से बचने के लयि अनुच्छेद- 341 में राष्ट्रपतिकी सूची की परकिल्पना की गई थी ।

आगे की राह:

- सामाजकि वास्तवकिताओं को ध्यान में रखे बनिा सामाजकि परिवर्तन का संवैधानकि लक्ष्य प्राप्त नहीं कयिा जा सकता है । अतः इस दशिा में उचति आरक्षण उप-वर्गीकरण प्रणाली को अपनाना एक प्रभावी कदम हो सकता है ।

भारत में अनुसूचति जनजातयिाँ:

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचति जातयिाँ का प्रतशित भारत की जनसंख्या का 16.6% है ।
- सामाजकि न्याय और अधिकारतिा मंत्रालय की वार्षकि रिपौर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 में देश में कुल 1,263 अनुसूचति जनजातयिाँ थी ।
- अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कसिी भी समुदाय को अनुसूचति जातकि रूप में नरिदषिट नहीं कयिा गया है ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sub-classification-of-reservation>

